

भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र / Nuclear Fuel Complex
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना, अनुभाग / CHSS Section

सं Ref: NFC/CHSS/04/01/2023/ 6761

दिनांक Date: 07/12/2023

परिपत्र CIRCULAR

विषय : आश्रित लाभार्थियों (संतान एवं माता- पिता / सास-ससुर) हेतु सीएचएसएस सुविधा के नवीकरण के संबंध में।
Sub : Renewal of CHSS facility in respect of Dependent beneficiaries (Children and parents/ parents -in-law) – Reg.

सीएचएसएस नियमों के अनुसार, सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी जो सीएचएसएस योजना के सदस्य हैं, उन्हें सीएचएसएस सुविधाओं को जारी रखने हेतु सीएचएसएस कार्ड का नवीकरण करने के लिए उनपर आश्रित माता-पिता, सास-ससुर, 18 से 25 वर्ष के बीच की आयु के संतानों की तथा अन्य आश्रितों के आय एवं आवास के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। In accordance with the CHSS Rules, every serving and retired employee, who is a member of CHS Scheme has to invariably submit a declaration regarding income and residence of their dependent parents, parents-in-law, children aged between 18 and 25 years of age and other dependents while renewing their CHSS cards for the purpose of continuation of CHSS facilities.

2. तदनुसार, जिन कर्मचारियों ने अपनी संतान, माता-पिता/ सास-ससुर और अन्य आश्रित संबंधियों को पंजीकृत करवाया है और यदि इन कार्डों की वैधता दिनांक 31.12.2023 को समाप्त होने वाली है, तो वे एनएफसी इंट्रानेट पर वर्तमान में उपलब्ध CHSS HIMS Portal पर आवेदन प्रस्तुत करें। Accordingly, employees who have registered their children, parents / parents-in-law and others, the validity of whose cards are due to expire by 31.12.2023 shall submit the applications in CHSS - HIMS Portal, which is presently available on NFC Intranet.

3. सीएचएसएस लाभार्थी एनएफसी इंट्रानेट <http://beneficiary.nfc.gov.in> पर लॉगिन करके अपने आवेदन भर सकते हैं। उपरोक्त पोर्टल पर लॉगिन करने हेतु क्रेडेंशियल (यूजर नेम तथा पासवर्ड/ ओटीपी) निम्नानुसार हैं : CHSS beneficiaries shall log on to <http://beneficiary.nfc.gov.in>(on NFC intranet) for submitting their application through Online. Credentials (Username and Password/OTP) to login the above portal are as follows:

प्रयोक्ता का नाम / यूजर आईडी User name/ user ID	सीएचएसएस संख्या के प्रथम पाँच (05) संख्याएँ First 05 (five) digits of CHSS number
पासवर्ड Password	मुख्य लाभार्थी की जन्मतिथि DDMMYYYY प्रारूप में Date of birth of Prime Beneficiary In DDMMYYYY format

Cont..2..


::2::

4. उपरोक्त मोड्यूल में किसी भी तरह की सहायता/ मदद के लिए कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे 040- 27183245 पर हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। वैसे ही, अन्य इकाईयों (परमाणु खनिज निदेशालय को छोड़कर) के सेवारत कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों / मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अपने आश्रित होने के संबंध में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा तथा सीएचएसएस अनुभाग, संजीवनी के पास उपलब्ध अलग काउंटर पर जाकर HIMS पोर्टल पर अपलोड करवाना होगा। कृपया नोट करें कि सीएचएसएस अनुभाग द्वारा कोई भी प्रत्यक्ष आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। In case of any assistance/support while using the above module, employees are requested to contact helpdesk on 040-27183245. Similarly, Serving employees of other units (Other than AMD) and Retired Employees / dependents of deceased employees shall bring the requisite documents in respect of their dependents and upload in HIMS portal at a separate counter which is made available near CHSS Section, Sanjivini. It may please be noted that NO physical application will be entertained by CHSS section.

5. वैसे सीएचएसएस लाभार्थी (स्वयं एवं आश्रित) जिनके सीएचएसएस कार्ड की वैधता दिनांक 31.12.2023 को समाप्त होनेवाली है वे अपने सीएचएसएस कार्ड के नवीकरण हेतु उपरोक्त पोर्टल का उपयोग कर दिनांक 15.12.2023 अथवा उससे पूर्व वांछित दस्तावेजों के साथ आवेदन दे सकते हैं। इससे सीएचएसएस अनुभाग ससमय नए कार्ड दे पाएगा तथा उन्हें योजना के तहत निर्बाध मेडिकल सुविधाएँ सुनिश्चित की जा सकेंगी। माता - पिता अथवा सास- ससुर के सीएचएसएस कार्डों के नवीकरण करने हेतु आवेदन देने हेतु माता - पिता का संयुक्त रूप से मूल्यांकन वर्ष 2023-24 का ITR पावती प्रस्तुत करनी होगी (अर्थात् ITR की दो पावतियों को एक दस्तावेज में) CHSS beneficiaries (self and dependents) whose CHSS card validity is getting expired by 31.12.2023 shall apply renewal their CHSS cards using the said portal by uploading the requisite documents **on or before 15.12.2023**. This will enable CHSS section to provide new cards in time and also to ensure uninterrupted medical services under the scheme. While applying for renewal of parents / parents-in-law CHSS cards, a combined ITR acknowledgement for the Assessment year 2023-24 of both Father and Mother is required to be submitted (i.e., two ITR acknowledgements as a single document).

6. सीएचएसएस मैनुअल के नियम संख्या 4.2.2 के अनुसार, अगर परिवार का कोई भी सदस्य ज्यों ही योजना का लाभ लेने हेतु अयोग्य हो जाता है तो कर्मचारी का यह दायित्व है कि वह तुरंत इसकी सूचना सीएचएसएस, नाईस को दें और कार्ड CHSS अनुभाग को सौंप दें। कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अंतिम माना जाएगा तथा असत्य पाए जाने की स्थिति में वैधता की अवधि में उपचार पर हुए खर्च को कर्मचारी से वसूल किया जाएगा तथा वह अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जिम्मेदार होगा। As per rule No.4.2.2. of CHSS manual, it shall be the responsibility of the employee concerned to notify the CHSS, NFC as soon as any member of the family becomes ineligible for the benefits of the scheme and to surrender the cards. The application submitted by the employee will be treated as final and in case the details found to be false, the entire cost on the treatment rendered to the beneficiary during the period of validity shall be recovered and the prime beneficiary will be made liable for disciplinary action apart from cancellation of CHSS cards for a period as desired by the competent authority.

7. इसे नाईस के सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Competent Authority, NFC.


(डी. श्रीनिवासराव / D. Srinivas Rao)

प्रशासनिक अधिकारी-III / Administrative Officer-III

सभी संयंत्र / अनुभाग All Plants / Sections
सभी सूचना पट्ट / All Notice Boards

प्रतिलिपि Copy to:

मुख्य कार्यपालक, नाईस-
CE, NFC -

सभी उप मुख्य कार्यपालक / परि. निदे. जेडसी / पलय/ महा. प्रबं
/क्षे. नि. क्रभनिहैए / उपमहा. प्रबं / प्रधान/वरि. प्रबं/प्रबं/ उपप्रबं/ कार्या. प्रभारी
DCEs / PD, ZC(P)/GMs/RD, HRPSU / DGMs / Heads / SMs /
Mgrs / DMs /OICs

सादर सूचनार्थ

For kind information please.

प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग / (मुख्य चिकित्सा अधीक्षक) ओएचसी, कोटा व
जेडसी / (मुख्य चिकित्सा अधीक्षक) सी एच सी व सी एच एस एस / (मुख्य
चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधिकारी, नाईस
Head, Medical Division/CMS(OHC) /MS(CHC & CHSS) / CMO /
Medical Officer's, NFC

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, CAO, NFC(Kota)
संयुक्त नियंत्रक (वित्त व लेखा) JC (F & A), NFC
उपमहानिरीक्षक, पऊविमुख्यालय/समादेश, कें. औ. सु. ब DIG, DAE
Headquarters/Commandant, CISF

महासचिव, नाईस औ. का. संघ / General Secretary, NFC IWU

अध्यक्ष, नाईस प र्य. कर्म. संघ / नाईस वैज्ञा. सहा. संघ/ नाईस अधिकारी संघ
President, NFCSSA/NFCSSAA/ NUFCOA

सूचनार्थ प्रति:

Copy also for information to:

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प ख नि, हैदराबाद
CAO, AMD, Hyderabad

प्रशासनिक अधिकारी, टीआईएफआर, हैदराबाद
Administrative Officer, TIFR, Hyderabad

प्रभारी वैज्ञानिक, सीसीसीएम, हैदराबाद
Scientist-in-Charge, CCCM, Hyderabad

प्रमुख, आरसी, जोनाकी, ब्रिट, हैदराबाद
Head, RC, Jonaki, BRIT, Hyderabad
प्राचार्य, आईसीएस-I/II, हैदराबाद
Principal, AECS-I/AECS-II, Hyderabad

प्रभारी अधिकारी, एनपीसीआईएल, ईसीआईएलकैम्पस, हैदराबाद
Officer-in-Charge, NPCIL, ECIL Campus, Hyderabad

आईआईडब्ल्यू, पऊवि, हैदराबाद
IIW, DAE, Hyderabad
प्रबन्धक-क्रय, आरपीयू एम (शहरकार्यालय, नाईसपरिसर, हैदराबाद
Manager-Purchase, RPU (M) City Office, NFC Premises, Hyderabad